"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 124] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 अप्रैल 2017 — चैत्र 15, शक 1939

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–09/2003/12. – खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में, उप–नियम (1) में,–

(क) खण्ड (ड.–1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ड.–1) "अंतिम उपयोग संयंत्र/स्थल" से अभिप्रेत है ऐसा संयंत्र/स्थल जहां खनिज का अंतिम रूप से उपयोग किया जायेगा;"

(ख) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(झ–1) "पट्टेदार" का वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (भ) के अधीन परिभाषित है;"

(ग) खण्ड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ढ–1) "रायल्टी प्रदत्त अभिवहन पास" से अभिप्रेत है खनिजों के विधिपूर्वक परिवहन करने हेतु भण्डारण अनुज्ञापत्रधारकों द्वारा या तो विभागीय पोर्टल से प्ररूप–10 में निकाला गया अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तर में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पास;"

(घ) खण्ड (न) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(न) "अभिवहन पास" से अभिप्रेत है खनिजों के विधिपूर्वक परिवहन करने हेतु अग्रिम रायल्टी जमा करने के पश्चात् विभागीय पोर्टल से विहित प्रपत्र में निकाला गया या छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तर में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पास;"

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"3 **प्रतिषेध.**– (1) कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अधीन जारी विधिमान्य अभिवहन पास के बिना किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को, उसके खनन/उत्खनन/भण्डारण/प्रसंस्करण के स्थान से या एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक किसी वाहन द्वारा या अन्यथा न तो परिवहन करेगा और न ही परिवहन करायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, इस नियम के अधीन प्ररूप–17 में जारी वैध रेलवे अभिवहन पास के बिना, किसी मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को, उसके खनन/उत्खनन/भण्डारण/प्रसंस्करण के स्थान से या एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक रेल द्वारा न तो परिवहन करेगा और न ही परिवहन करायेगा :

परन्तु यह कि जहां किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का, पट्टा क्षेत्र से उत्खनन/भण्डारण/प्रसंस्करण के स्थान तक या एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक, आकाशीय रज्जू मार्ग (एरियल रोपवे) अथवा कनवेयर बेल्ट अथवा मेरी–गो–राउंड अथवा पाईप लाईन साधनों द्वारा अथवा किसी अन्य माध्यम से सीधे, परिवहन किया जाता है या ले जाया जाता है तो पट्टेदार, प्रत्येक दिन ऐसे साधनों से परिवहन की गयी कुल मात्रा को विभागीय पोर्टल में संधारित करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अधीन प्राप्त वैध "भण्डारण अनुज्ञापत्र" के बिना, खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का, पट्टा क्षेत्र से बाहर अथवा गन्तव्य स्थान से अन्यत्र प्रसंस्करण अथवा अन्य प्रयोजन के लिए भंडारण अथवा प्रसंस्करण/क्रशिंग हेतु संयंत्र स्थापित नहीं करेगा।"

3. नियम 4 में,–

(क) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) (एक) खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन स्वीकृत किसी पट्टा क्षेत्र से उत्खनित समस्त खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन, केवल इन नियमों के अधीन संलग्न प्ररूप–1 में जारी वैध खनिज अभिवहन पास के साथ किया जायेगा।

(दो) जहां रेल्वे साईडिंग या भंडारण/क्रशिंग/प्रसंस्करित संयंत्र, पट्टा क्षेत्र के बाहर स्थित है तो किसी भी साधन से परिवहन, इन नियमों के अधीन संलग्न प्ररूप–1 में जारी वैध खनिज अभिवहन पास के साथ किया जायेगा :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में संचालक को, इस हेतु कारणों को अभिलिखित करते हुए, इस प्रतिबंध से छूट प्रदान करने की शक्ति होगी।

(तीन) जहां किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का, पट्टा क्षेत्र से उत्खनन/भंडारण/प्रसंस्करण के स्थान तक अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, आकाशीय रज्जू मार्ग (एरियल रोपवे) अथवा कनवेयर बेल्ट अथवा मेरी–गो–राऊण्ड या पाईप लाईन साधनों द्वारा अथवा किसी भी अन्य माध्यम से सीधे परिवहन किया जाता है या ले जाया जाता है तो पट्टेदार, प्रत्येक दिन ऐसे साधनों द्वारा परिवहन की गई कुल मात्रा को विभागीय पोर्टल में संधारित करेगा :

परन्तु विशेष परिस्थितियों में संचालक को, इस हेतु कारणों को अभिलिखित करते हुए, इस प्रतिबंध से छूट प्रदान करने की शक्ति होगी।

(चार) कोई भी व्यक्ति, इन नियमों के अधीन प्ररूप–17 में जारी वैध रेलवे अभिवहन पास के बिना, किसी मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को उनके उत्खनन/भंडारण/प्रसंस्करण के स्थान से या एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक रेल द्वारा न तो परिवहन करेगा और न ही परिवहन करायेगा; पट्टेदार/अनुज्ञापत्रधारी को विभागीय पोर्टल में, प्ररूप–16 में ई.डी.आर.एम आदेश की प्रति के साथ आवेदन करना होगा। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर को प्ररूप–16 में आवेदन किया जा सकेगा, ऐसे प्रकरण में रेलवे अभिवहन पास, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तर में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा :

परन्तु जहां पट्टेदार के द्वारा, स्वयं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कर प्ररूप–17 में ऑनलाईन अभिवहन पास एक बार निकाला गया है, तो उसे, पुनः भौतिक प्रति में अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।"

(ख) उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(2) (एक) पट्टेदार, किसी वित्तीय वर्ष हेतु, उत्खनन योजना अथवा पर्यावरण सम्मति में उल्लिखित वार्षिक उत्पादन, जो भी कम हो, की सीमा के भीतर, किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन करने के लिये उसी वित्तीय वर्ष हेतु, ऐसी मात्रा के लिये सम्यक् रूप से अग्रिम रायल्टी जमा कर, विभागीय पोर्टल से प्ररूप–1 में अभिवहन पास निकाल सकेगा अथवा विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर को प्ररूप–2 में आवेदन, किसी वित्तीय वर्ष हेतु उत्खनन योजना या पर्यावरण सम्मति में

उल्लिखित वार्षिक उत्पादन, जो भी कम हो, की सीमा तक, उसी वित्तीय वर्ष हेतु, परिवहन की जाने वाली खनिज हेतु देय रायल्टी और अभिवहन पास पुस्तिका की राशि का मूल कोषालय चालान की प्रति के साथ कर सकेगा। ऐसे प्रकरणों में, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तर में सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप–1 में अभिवहन पास जारी किया जायेगा :

परन्तु जहां पट्टेदार के द्वारा स्वयं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कर प्ररूप–1 में, ऑनलाईन अभिवहन पास एक बार निकाला गया है, तो उसे, भौतिक प्रति में प्ररूप–1 में अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(दो) अभिवहन पास पुस्तिका का मूल्य तथा परिवहन किये जाने वाले खनिज पर देय रायल्टी, ऐसी रीति में जमा की जायेगी जैसा कि नियमों में विहित की गई है।

(तीन) प्रत्येक पट्टेदार अथवा अनुज्ञापत्रधारी, पट्टा क्षेत्र/भंडारण स्थल से किसी खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों के परिवहन के लिये प्रयुक्त वाहन के चालक को, विभागीय पोर्टल से निकाले गये डुप्लीकेट प्रति में, अभिवहन पास की एक प्रति देगा, और एक प्रति अपने अभिलेख हेतु रखेगा। वाहन चालक, परिवहन की जा रही खनिज के गंतव्य स्थल से अंतिम उपयोग स्थल अथवा अंतिम उपयोग संयंत्र में पहुंचने पर, खनिज के साथ साथ अभिवहन पास की प्रति सौंप देगा।

(चार) जहां जिला स्तर में छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिवहन पास जारी किया गया हो, तो पट्टेदार या अनुज्ञापत्रधारी, पट्टा क्षेत्र/भंडारण स्थल से खनिज ले जाने वाले वाहन चालक को, अभिवहन पास की मूल प्रति के नीचे दोनों तरफ कार्बन पेपर लगाकर लिखी गई द्वितीय प्रति जारी करेगा तथा वह अभिवहन पुस्तिका की मूल प्रति सुरक्षित रखेगा।

(पांच) छत्तीसगढ़ शासन, खनिज संसाधन विभाग द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा खनिज रियायत के लिये जारी अभिवहन पास मुद्रित की जायेगी एवं संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म द्वारा समय–समय पर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जायेगी।"

(ग) उप–नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**(6) रेलवे साईडिंग से अंतिम उपयोग संयंत्र/स्थल अथवा अनुज्ञप्त प्रसंस्करण संयंत्र/स्थान/भंडारण स्थल तक खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन करने की प्रक्रिया.–** (एक) रेलवे साईडिंग से अंतिम उपयोग संयंत्र/स्थल या प्रसंस्कृत संयंत्र/अनुज्ञप्त भण्डारण स्थल तक खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन, विभागीय पोर्टल से प्ररूप–13 में निकाले गये स्थानीय अभिवहन पास के द्वारा किया जायेगा।

(दो) ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी, जो कि रेल मार्ग से लाये गये खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का रेलवे साईडिंग से किसी अंतिम उपयोग संयंत्र/स्थल अथवा प्रसंस्कृत संयंत्र/भण्डारण स्थल तक परिवहन करना चाहते हैं तो वे विभागीय पोर्टल में प्ररूप–11 में अपेक्षित जानकारी सहित ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा प्ररूप–13 में स्थानीय अभिवहन पास ऑनलाईन निकालेंगे :

परन्तु जहां पट्टेदार के द्वारा स्वयं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कर प्ररूप–13 में ऑनलाईन अभिवहन पास एक बार निकाला गया है तो उसे, पुनः भौतिक प्रति में अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(तीन) विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर को विहित प्ररूप–11 में आवेदन किया जा सकेगा, ऐसे प्रकरणों में स्थानीय अभिवहन पास, खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला स्तर में सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(चार) प्ररूप–11 में जिला खनन अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी का विवरण, प्ररूप–12 के अनुसार पंजी में संधारित किया जायेगा। तत्पश्चात, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लिखित खनिजों की मात्रा के अनुसार समकक्ष मात्रा के परिवहन के लिये प्ररूप–13 में स्थानीय अभिवहन पास जारी किया जायेगा। आवेदक, उपयोग में लाये गये तथा शेष अप्रयुक्त स्थानीय अभिवहन पास का विवरण, रेल पावती के साथ प्ररूप–14 में प्रस्तुत करेगा। स्थानीय अभिवहन पास हेतु आगामी आवेदन के निराकरण के समय प्ररूप–13 में पूर्व में जारी स्थानीय अभिवहन पास की मात्रा का मिलान, प्रस्तुत रेल पावती से करने पर, यदि सही पाया जाता है तो, जिला स्तर में प्राधिकृत अधिकारी, नवीन आवेदन पर विचार करने के पश्चात् नवीन स्थानीय अभिवहन पास जारी करेगा।

(पांच) स्थानीय अभिवहन पास में दिनांक, समय एवं मात्रा का स्पष्ट लेख न करने अथवा उसमें काटछांट/फेरबदल करने या स्थानीय अभिवहन पास में दर्ज गंतव्य स्थल के अनुसार परिवहन न करने या स्थानीय अभिवहन पास का अन्य किसी प्रकार से दुरूपयोग करने पर, ऐसे सभी चूक एवं कृत्य, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 21 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

(छः) जहां रेल मार्ग से परिवहन कर लाये गये खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को उतारने हेतु रेलवे साईडिंग, अंतिम उपयोग संयंत्र/स्थल के परिसर के अंदर स्थित है, तो स्थानीय अभिवहन पास की आवश्यकता नहीं होगी।''

4. नियम 7 में,–

(क) उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(1) (एक) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग–क तथा ग में अथवा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची–एक तथा अनुसूची–दो में उल्लिखित किसी खनिज का पट्टा क्षेत्र के बाहर भंडारण/बेनीफिकेशन/क्रशिंग/प्रसंस्करण किसी अन्य माध्यम से किया जाना हो अथवा अस्थायी तौर पर एकत्रीकरण किया जाना हो, तो ऐसे भण्डार/प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र की स्थापना हेतु अनुज्ञा, संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्ररूप–7 में, दी जायेगी।

(दो) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की प्रथम अनुसूची के भाग–ख में उल्लिखित किसी खनिज का पट्टा क्षेत्र के बाहर भंडारण, बेनीफिकेशन या क्रशिंग या प्रसंस्करण किसी अन्य माध्यम से किया जाना हो तो ऐसे भंडारण/प्रसंस्करण/क्रशर संयंत्र की स्थापना हेतु अनुज्ञा, राज्य शासन के अनुमोदन से संबंधित जिले के जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रररूप–7 में, दी जायेगी।

(तीन) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची–एक के भाग–क में उल्लिखित खनिजों के काटे, पॉलिश किये गये और तराशे गये (प्रसंस्कृत) स्लैब्स और टाईल्स के भंडारण के लिए, प्ररूप– 7 में यथा विनिर्दिष्ट भंडारण अनुज्ञापत्र, आवश्यक नहीं होगी। तथापि, इस भाग के प्रसंस्करित किसी खनिज के परिवहन हेतु, जिला खनिज कार्यालय से इस प्रयोजन हेतु जारी खनिज अभिवहन पास प्ररूप–1 में प्रस्तुत करना तथा रॉयल्टी प्रदत्त अभिवहन पास प्ररूप–10 में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(चार) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची–एक के भाग–ग के सरल क्रमांक–2 में उल्लिखित खनिज फ्लेगस्टोन के काटे, तराशे गये (प्रसंस्कृत) और पॉलिश किये गये स्लैब्स और टाईल्स के भंडारण के लिए, प्ररूप–7 में यथा विनिर्दिष्ट भंडारण अनुज्ञापत्र, आवश्यक नहीं होगी। तथापि, इस प्रसंस्करित खनिज के परिवहन हेतु, जिला खनि अधिकारी से इस प्रयोजन हेतु जारी अभिवहन पास प्ररूप–1 में प्रस्तुत करना तथा रॉयल्टी प्रदत्त अभिवहन पास प्ररूप–10 में प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(पांच) छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 की अनुसूची–एक के भाग–ग के सरल क्रमांक–1 एवं 3 में उल्लिखित खनिजों के लिये, प्ररूप–7 में विनिर्दिष्ट भंडारण अनुज्ञापत्र, ऐसे संयंत्र के लिये निःशुल्क उपलब्ध होंगे जो उसके स्वयं के खनन पट्टे के क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की परिधि के भीतर हो। तथापि, इस प्रसंस्करित खनिजों के परिवहन हेतु जिला खनि अधिकारी से इस प्रयोजन हेतु जारी खनिज अभिवहन पास प्ररूप–1 में प्रस्तुत करना तथा रॉयल्टी प्रदत्त अभिवहन पास प्ररूप–10 में प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा मासिक पत्रक प्ररूप–15 में देना होगा।

(छः) इन नियमों के खण्ड (एक) एवं (दो) के अधीन प्ररूप–7 में विनिर्दिष्ट भंडारण अनुज्ञापत्र, विभागीय पोर्टल से भी ऑनलाईन निकाले जा सकेंगे।''

(ख) उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(2) अस्थायी भंडारण/प्रसंस्करण/क्रसिंग की अनुज्ञा या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन, या तो विभागीय पोर्टल से ऑनलाईन किया जायेगा अथवा संबंधित जिले के कलेक्टर को प्ररूप–4 में, अपेक्षित शुल्क (गैर वापसी) को, विहित राजस्व प्राप्ति लेखा शीर्ष में, सम्यक् रूप से देय चालान की प्रति के साथ, किया जायेगा।''

(ग) उप–नियम (4) में,–

(एक) खण्ड (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(दो) यदि प्रस्तावित/अस्थायी भंडारण/प्रसंस्करण संयंत्र/क्रशर संयंत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग से 100 मीटर के भीतर, किन्तु जो 500 मीटर से अधिक न हो, अवस्थित हो तो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र;

(तीन) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का सं. 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का सं. 14) के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र;''

(दो) खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित्त अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(छः) जहां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों को वेबसाईट पर स्कैन कर, अपलोड किया जायेगा।''

5. नियम 8 में,–

(क) शब्द "आवेदन प्राप्त होने पर उस तारीख तथा समय की प्रविष्टि की जावेगी" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) नियम 8 के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि आवेदन, ऑनलाईन भी प्रस्तुत किये जायेंगे।"

6. नियम 9 में,–

(क) पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) नियम 9 के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि जब आवेदन, ऑनलाईन किया जाता है तब प्ररूप–6 में रसीद प्राप्त की जा सकेगी।"

7. नियम 10 में, उप–नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(2) अस्थायी भण्डारण अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुज्ञापत्र के अवसान होने के पूर्व 90 दिवस के भीतर प्ररूप–4 में, नियम 7 के उप–नियम (3) में यथा विहित रीति में निर्धारित शुल्क के साथ और समस्त सुसंगत दस्तावेजों, जो नियम 7 के उप–नियम (4) के अनुसार मूल आवेदन करते समय प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, के साथ प्रस्तुत करेगा। यदि ऐसे नवीनीकरण के लिये प्राप्त आवेदन का, विहित समयावधि के भीतर निपटारा नहीं हो पाता है, तो यह माना जायेगा कि ऐसी अनुज्ञापत्र की अवधि को, जिसके लिये मूल रूप से अनुमति दी गई थी, को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर आदेश पारित करने तक बढ़ा दिया गया है :

परन्तु जहां उपरोक्त विहित समयावधि के पश्चात् नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुआ हो, तो आवेदन, पांच हजार रूपये के अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर, ऐसे कारणों को लेखबद्ध करते हुए, ग्रहण किया जायेगा :

परन्तु यह और कि तीस दिवस तक के विलंब को ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में माफ किया जायेगा।"

8. नियम 11 में,–

(क) शब्द "जमा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) नियम 11 के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"परन्तु प्रतिभूति के रूप में जमा राशि, संबंधित राजस्व प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत शासकीय कोषालय में जमा की जायेगी।"

9. नियम 14 में, खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(तीन) अनुज्ञप्तिधारी, अस्थायी भण्डारण/प्रसंस्करण स्थल से किसी खनिज/अयस्क और/या उसके उत्पादों का परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन (केरियर) के लिए विभागीय पोर्टल से प्ररूप–10 में मुद्रित रायल्टी प्रदत्त अभिवहन पास जारी करेगा। विशेष परिस्थितियों में संबंधित जिले के कलेक्टर को अपेक्षित जानकारी के साथ रायल्टी प्रदत्त अभिवहन पास जारी किये जाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्ररूप–10 में रायल्टी प्रदत्त अभिवहन पास जारी किये जायेंगे :

परन्तु जहां पट्टेदार के द्वारा स्वयं को विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत कर प्ररूप–10 में ऑनलाईन अभिवहन पास एक बार निकाला गया है तो उसे, पुनः भौतिक प्रति में प्ररूप– 10 में अभिवहन पास प्राप्त करने हेतु किसी भी परिस्थिति में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।"

10. नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"17. पट्टेदार/अनुज्ञापत्रधारी, खनिज परिवहन करने वाले वाहन मालिक, वाहन एवं अंतिम उपयोगकर्ता का पंजीयन.–

(1) पट्टेदार/अनुज्ञापत्रधारी का पंजीयन :

(एक) ऐसे सभी व्यक्ति, सोसायटी, फर्म, पार्टनरशिप एवं कम्पनी, जो खान तथा खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 अथवा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (भ) के अधीन परिभाषित अनुसार पट्टेदार हैं, उन्हें विभागीय पोर्टल पर अपना पंजीयन निःशुल्क करना अनिवार्य होगा। विभागीय पोर्टल पर पंजीयन किये जाने पर, पंजीयन कमांक (कोड) आबंटित किया जायेगा।

(दो) प्रत्येक पट्टेदार, जो इन संशोधित नियमों के अधिसूचना के पश्चात् विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, को अभिवहन पास ऑनलाईन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी अथवा विभागीय पोर्टल पर किसी भी अन्य प्रकार की सेवा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

(2) वाहन मालिक का पंजीयन :

(एक) ऐसे सभी व्यक्ति, सोसायटी, फर्म, पार्टनरशिप एवं कम्पनी, जिनके वाहनों द्वारा, मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को सड़क के माध्यम से, परिवहन किया जाता है, के द्वारा विभागीय पोर्टल पर प्ररूप–18 में आवदेन कर निःशुल्क पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा। विभागीय पोर्टल पर पंजीयन किये जाने पर, पंजीयन क्रमांक (कोड) आबंटित किया जायेगा।

(दो) इन संशोधन नियमों के अधिसूचना के पश्चात् विभागीय पोर्टल पर परिवहनकर्ता के रूप में पंजीयन के बिना, मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन किया जाना प्रतिबंधित होगा।

(3) परिवहन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहन का पंजीयन :

(एक) मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को सड़क के माध्यम से परिवहन करने वाले सभी वाहन के द्वारा, विभागीय पोर्टल पर प्ररूप–19 में आवदेन कर अपना पंजीयन कराया जाना अनिवार्य होगा। वार्षिक वाहन पंजीयन शुल्क रूपये पांच सौ का भुगतान किये जाने पर, विभागीय पोर्टल से, पंजीयन क्रमांक (कोड) आबंटित किया जायेगा। संग्रहित पंजीयन शुल्क, विहित राजस्व प्राप्ति शीर्ष में शासकीय कोषालय में (गैर वापसी योग्य), जमा किया जायेगा।

(दो) इन संशोधन नियमों के अधिसूचना से 180 दिवस के भीतर, ग्लोबल पोजीशिनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित ट्रैकर संस्थापित किये बिना, किसी भी मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों का परिवहन किया जाना प्रतिबंधित होगा।

(4) अंतिम उपयोगकर्ता का पंजीयन :

(एक) ऐसे सभी व्यक्ति, सोसायटी, फर्म, पार्टनरशिप एवं कम्पनी, जो अंतिम उपयोग संयंत्र में मुख्य खनिज/अयस्क और/या उसके प्रसंस्करित उत्पादों को मुख्य कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, के द्वारा विभागीय पोर्टल में प्ररूप–20 में पंजीयन हेतु निःशुल्क आवेदन किया जायेगा तथा अंतिम उपयोगकर्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया जायेगा।

(दो) प्ररूप–20 में प्राप्त ऐसे आवेदन के आधार पर, पंजीयन क्रमांक (कोड) ऑनलाईन आबंटित किया जायेगा। इस प्रकार पंजीकृत सभी अंतिम उपयोगकर्ता की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।

11. प्ररूप–1 में, सरल क्रमांक 7 में,–

(क) शब्द "वाहन स्वामी का नाम" के स्थान पर, शब्द "वाहन स्वामी का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर" प्रस्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "वाहन चालक का नाम" के स्थान पर, शब्द "वाहन चालक का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर" प्रस्थापित किया जाये।

12. प्ररूप–2 में, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 3(2) (एक) देखिये," के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 4(2) (एक) देखिये," प्रतिस्थापित किया जाये।

13. प्ररूप–3 में, चिन्ह, शब्द एवं अंक '(नियम 5 (सात) देखिये)" के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 6(7) देखिये," प्रतिस्थापित किया जाये।

14. प्ररूप–4 में, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 6 (1) देखिये," के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 7(1) देखिये," प्रतिस्थापित किया जाये।

15. प्ररूप–7 में, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 6 (1) देखिये," के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 7(1) देखिये," प्रतिस्थापित किया जाये।

16. प्ररूप–8 में, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 13 (दो) देखिये," के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 14(दो) देखिये," प्रतिस्थापित किया जाये।

17. क्रमशः प्ररूप–9(क)(1), प्ररूप–9(क)(2), प्ररूप–9(क)(3), प्ररूप–9(ख)(1), प्ररूप–9(ख)(2) में, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 13 (दो) देखिये," के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक "खनियम 14(दो) देखिये," प्रतिस्थापित किया जाये।

18. प्ररूप–10 में,–

(क) चिन्ह, शब्द एवं अंक ''खनियम 13 (तीन) देखिये,'' के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक ''खनियम 14(तीन) देखिये,'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) सरल क्र. 9 में, शब्द ''खनिज का विक्रय मूल्य'' के स्थान पर, शब्द ''खनिज क्रेता/प्राप्तकर्ता का नाम/डी.ओ. क्रमांक/दिनांक (यदि लागू हो)'' प्रतिस्थापित किया जाये।

19. प्ररूप–13 में, सरल क्रमांक 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :–
''11 रेलवे पावती क्र............................''

20. प्ररूप–14 में, चिन्ह, शब्द एवं अंक ''खनियम 4 (6) (क) देखिये,'' के स्थान पर, चिन्ह, शब्द एवं अंक ''खनियम 4 (6)(चार) देखिये,'' प्रतिस्थापित किया जाये।

21. प्ररूप–14 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

''प्ररूप– 15

[नियम 14(दो–क) देखिये]

मासिक विवरणी

माह ....के लिए

(आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी)

प्रति,

कलेक्टर
जिला ....
छत्तीसगढ़

(1) अनुज्ञापत्रधारी का नाम : ....

(2) पूर्ण पता :

(3) भण्डारण की अवस्थिति : (क) खसरा क्र. ....

(ख) रकबा ....

(ग) ग्राम/ग्राम पंचायत..

(घ) तहसील ....

(4) भण्डारण का ब्यौरा : (क) खनिज का नाम ....

(ख) अवधि .... से ....तक

(ग) एक बार में अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता ....

स.क्र.	माह/वर्ष	ओपनिंग स्टॉक	माह में प्राप्त खनिज की मात्रा			
			पट्टाकर्ता का नाम एवं खान का पता जहां से खनिज प्राप्त हुआ है	अभिवहन पास क्र. एवं दिनांक	वाहन का प्रकार एवं वाहन क्र.	खनिज की मात्रा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

भंडारण स्थल पर खनिज की कुल मात्रा (3+7)	भण्डारण क्षेत्र से प्रेषित खनिज की मात्रा				
	क्रेता का नाम एवं पता	रायल्टी पेड अभिवहन पास प्ररूप– 10 का सरल क्र. एवं दिनांक	वाहन का प्रकार एवं वाहन क्र.	खनिज की मात्रा	क्लोजिंग स्टॉक (8–12)
8.	9.	10.	11.	12.	13.

(टीप :– सभी आंकड़े घन मीटर/टन में दिये जायें)

प्ररूप – 16

[नियम 4(1)(चार) देखिये]

रेलवे अभिवहन पास हेतु आवेदन

1.	खनिज प्रेषणकर्ता का नाम एवं पता
2.	खनिज प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता
3	ई–परमिट क्रमांक
4.	खनिज का नाम
5.	ई.डी.आर.एम. क्रमांक दिनांक (प्रति अपलोड करें)
6.	ई.डी.आर.एम. में खनिज की मात्रा (टन में)
7.	खनिज की मात्रा (टन में)
8.	रेलवे साइडिंग का नाम एवं पता जहां से खनिज को भरा जायेगा
9.	गंतव्य रेलवे साइडिंग का नाम एवं पता

दिनांक : हस्ताक्षर

स्थान : आवेदक का नाम

प्ररूप – 17

[नियम 4(1)(चार) देखिये]

रेलवे अभिवहन पास

1.	जारी होने की दिनांक एवं समय
2.	प्रेषणकर्ता का नाम एवं पता
3.	प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता
4.	ई–परमिट क्रमांक
5.	खनिज का नाम

6.	ई.डी.आर.एम. क्रमांक दिनांक
7.	ई.डी.आर.एम. में उल्लिखित मात्रा (मीट्रिक टन में)
8.	प्रेषण हेतु प्रस्तावित खनिज की मात्रा (टन में)
9.	रेलवे साईडिंग का नाम जहां से खनिज को भरा जायेगा
10.	रेलवे साइडिंग का नाम जहां से खनिज को प्राप्त किया जायेगा

जिला खनि अधिकारी

जिला ....

प्ररूप — 18

[नियम 17(2) देखिये]

वाहन मालिक का पंजीयन आवेदन प्ररूप

1.	परिवहनकर्ता का प्रकार (व्यक्तिगत, फर्म, संघ, कंपनी)
2.	व्यक्ति / कंपनी / फर्म / संघ का नाम
3.	आवेदक का नाम
4.	पूर्ण पता
5.	पिन कोड
6.	मोबाईल नंबर
7.	ई—मेल आईडी
8.	पेन—कार्ड नंबर
9.	आधार कार्ड नंबर (व्यक्ति होने की दशा में)
10.	टिन नंबर (कंपनी / फर्म / संघ के लिए)

घोषणा — मैं यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मुझे ज्ञात है कि उपरोक्त कोई जानकारी गलत (असत्य) होने पर, लागू विधियों के अनुसार जुर्माना / दण्ड हो सकता है।

अस्वीकरण— नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिये, खनिज संसाधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदक

प्ररूप – 19

[नियम 17(3) देखिये]

वाहन पंजीयन प्ररूप

1.	वाहन का प्रकार (ट्रेलर / हाईवा / ट्रक / ट्रेक्टर / अन्य)
2.	वाहन क्रमांक / आरसी नंबर
3.	वाहन की ढुलाई क्षमता (मीट्रिक टन में)
4.	वाहन का टियर वेट (मीट्रिक टन में)
5.	क्या जीपीएस युक्त है ? हां या नहीं
6.	जीपीएस डिवाईस आईएमईआई क्र. (केवल जीपीएस युक्त वाहनों के लिए)

घोषणा – मैं यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मुझे ज्ञात है कि उपरोक्त कोई जानकारी गलत (असत्य) होने पर, लागू विधियों के अनुसार जुर्माना / दण्ड हो सकता है।

अस्वीकरण– नियमों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन के लिये, खनिज संसाधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदक

प्ररूप – 20

[नियम 17(4) देखिये]

अंतिम उपयोगकर्ता पंजीयन प्ररूप

1.	अंतिम उपयोगकर्ता का प्रकारः– (व्यक्तिगत / फर्म / सोसायटी / भागीदारी / कंपनी)
2.	व्यक्ति / फर्म / सोसायटी / भागीदार / कंपनी का नाम
3.	आवेदक का नाम
4.	पदनाम
5.	पूर्ण पता
6.	पिन कोड
7.	मोबाईल नंबर
8.	ई–मेल आईडी
9.	पेन कार्ड क्रमांक
10.	आधार कार्ड क्रमांक (व्यक्ति होने की दशा में)

11.	टिन क्रमांक (कंपनी / फर्म / संघ हेतु)
12.	खनिज का नाम
13.	खनिज का उपयोग
14.	उद्देश्य (केप्टिव / नॉन–केप्टिव)
15.	छत्तीसगढ़ से बाहर (हां / नहीं)
16.	व्यवसाय की प्रकृति (निजी / क्रशर / प्रसंस्करण संयंत्र / भण्डारण डिपो)

घोषणाः मैं यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और मुझे ज्ञात है कि उपरोक्त कोई जानकारी गलत (असत्य) होने पर लागू विधियों के अनुसार जुर्माना / दण्ड हो सकता है।

अस्वीकरणः नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिये, खनिज संसाधन विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदक''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2017

क्रमांक एफ 7—09/2003/12. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7—09/2003/12, दिनांक 05 अप्रैल, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 5th April 2017

NOTIFICATION

No. F 7-09/2017/12. — In exercise of the powers conferred by Section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minerals (Mining, Transportation and Storage) Rules, 2009, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In Rule 2, sub-rule 1,-

(a) for clause (e-1), the following shall be substituted, namely :-

"(e-1) "End use plant/place" means such plant/place where the mineral shall be used finally;"

(b) after clause (i), the following shall be inserted, namely :-

"(i-1) 'Lessee' shall have the same meaning as defined under clause (x) of sub-rule (1) of rule (2) of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015;"

(c) after clause (m), the following shall be inserted, namely :-

"(m-1) "Royalty Paid Transit Pass" means a pass generated for the lawful transportation of minerals by the storage permit holders in FORM-10 either from the Departmental portal or issued by the officers duly authorized at the district level by the Government of Chhattisgarh, Mineral Resources Department;"

(d) for clause (t), the following shall be substituted, namely :-

"(t) "transit pass" means a pass generated for the lawful transportation of minerals after depositing advance royalty in prescribed Proforma from the Departmental portal or issued by the officers duly authorized at the district level by the Government of Chhattisgarh, Mineral Resources Department;"

2. For Rule 3, the following shall be substituted, namely :-

"3 **Prohibition**.- (1) No person shall transport, carry or cause to be transported or carried any mineral/ore and/or its beneficiated products by any vehicle or otherwise from the place of its winning/raising/storage/beneficiation or from one place to another place without having a valid transit pass issued under these Rules.

(2) No person without having a valid railway transit pass issued in Form-17 under these rules shall transport, carry or cause to be transported or carried any major mineral/ore and/or its beneficiated products by railway from the place of winning/raising/storage/ beneficiation or from one place to another place :

Provided that where any mineral/ore and/or its beneficiated products is transported or carried from the lease area to the place of raising/storage/ beneficiation or from one place to another place;

directly by means of aerial ropeway or conveyor belt or a merry-go-round or pipeline or any other means whatsoever the lessee shall maintain on the departmental portal a log of the total quantity transported by such means every day.

(3) No person shall store for processing or any other purpose, or establish a plant for beneficiation/crushing of any mineral/ore and/or its beneficiated products outside the lease area, or other than the final destination, without obtaining a valid "storage permit" for the purpose of storage/beneficiation/crushing under these rules.

3. In Rule 4,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) (i) All the minerals/ore and/or their beneficiated products excavated in any lease area sanctioned under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) and Rules framed thereunder shall only be transported along with a valid Mineral Transit Pass issued under these Rules in Form -1.

(ii) Where a railway siding or a storage/crushing/beneficiation unit is located outside the lease area, any transportation by any means whatsoever shall be done along with a valid mineral transit pass issued under these Rules in Form-1:

Provided that the Director shall have the powers to grant exemption from this prohibition under special circumstances for reasons to be recorded.

(iii) Where any mineral/ore and/or its beneficiated products is transported or carried from the lease area to the place of raising /storage/beneficiation or from one place to another; directly by means of aerial ropeway or conveyor belt or a merry-go-round or pipeline or any other means whatsoever, the lessee shall maintain on the departmental portal a log of the total quantity transported by such means everyday:

Provided that the Director shall have powers to grant exemption from this prohibition under special circumstances for reasons to be recorded.

(iv) No person shall without having a valid railway transit pass issued in Form-17 under these Rules shall transport, carry or cause to be transported or carried, any major mineral/ore and/or its beneficiated products by railway from the place of raising/storage/beneficiation or from one place to another place; The lessee/permit holder shall apply in Form-16 on the departmental portal with E.D.R.M. order. Under special circumstances an application in Form-16 may be made to the District Collector, in which case the Railway Transit Pass shall be issued by the officer duly authorized at the District level by the Mineral Resources Department:

Provided that where, once a lessee having registered himself on the departmental portal has generated online transit passes in Form 17 he shall not be allowed to receive transit pass in a physical form under any circumstances whatsoever."

(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) (i) A lessee may, within the limits of the annual production mentioned in the Mining Plan or the Environmental Clearance, for a given financial year, whichever is less, generate in Form-1 from the departmental portal the transit pass to transport any mineral/ore and/or its beneficiated products on payment of advanced royalty due for such quantity for a given financial year or under special circumstances shall make an application in Form-2 to the District Collector, along with the original treasury challan of the cost of Transit Book and royalty due of the mineral to be transported up to the limit of annual production mentioned in the Mining Plan or the Environmental Clearance, whichever is less, for any given financial year. The transit pass in Form -1, in such cases, shall be issued by the officer duly authorized at the District level by the Government of Chhattisgarh, Mineral Resources Department:

Provided that where, once, a lessee having registered himself on the departmental portal has generated online transit passes in Form-1, he shall not be allowed to receive transit pass in Form -1 in physical form under any circumstances whatsoever.

(ii) The cost of the transit pass book and the royalty due of the mineral transported shall be deposited in the same manner as prescribed in the Rules.

(iii) Every lessee or permit holder shall handover one copy of the transit pass generated in duplicate from the departmental portal to the driver of the vehicle used for transportation of any mineral/ore and/or its beneficiated products from the lease area/storage site and retain one copy for his record. The driver shall upon reaching the end use place or end use plant, being the final destination of the transported mineral, hand over the mineral along with transit pass there.

(iv) Where an Authorized Officer of the Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh, at the District level has issued the transit pass, the lessee or the permit holder shall issue duplicate copy of the pass generated by using carbon copy on both sides to the driver of the vehicle carrying mineral from the lease area/storage site and keep the original in the transit book safely.

(v) The Transit Passes issued for mineral concessions by District level officers duly authorized by the Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh, shall be printed and issued as per the procedure laid down by the Director, Geology and Mining, from time to time."

(c) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:-

"(6) **Procedure for transportation of minerals/ore and/or its beneficiated products from railway siding to end use plant/place or licensed processing plant/place/storage site.-**(i) Transportation of mineral/ore and/or its beneficiated products from the railway siding to the end use plant/place or processing plant/licensed storage site shall be done through a Local Transit Pass, generated in Form-13, from the Departmental portal.

(ii) Such persons/firm/company, who want to transport mineral/ore and/or its beneficiated products brought by rail route, from railway sidings to any end use plant/place or processing plant/storage site, shall submit an application online on the departmental portal in prescribed Form-11 along with the required information and generate online a local transit pass in Form-13:

Provided that where, once, a lessee having registered himself on the departmental portal has generated online transit passes in Form-13, he shall not be allowed to receive transit pass in Form-13 in physical form under any circumstances whatsoever.

(iii) Under special circumstances an application may be made to the District Collector in prescribed Form-11, in which case the Local Transit Pass shall be issued by the officer duly authorized at the District level by the Mineral Resources Department.

(iv) Details of the information received by the District Mining Office under Form-11 shall be maintained in the register in accordance with Form-12. Subsequently Local Transit Pass shall be issued in Form-13, for transportation of equivalent quantity as per the quantity of minerals mentioned in the application submitted by the applicant. The applicant shall submit the details of used and remaining local transit pass along with the railway receipt in Form-14. The Officer authorized at the District level shall on tallying the quantity of Local Transit Pass issued previously in Form -13 with the submitted railway receipts at the time of disposal of subsequent application for the local transit pass, which if found correct, shall issue new local transit pass after considering the new application.

(v) Not specifically mentioning the date, time and quantity in the local transit pass or deliberate overwriting/making changes in it or not transporting as per the final destination mentioned or in any other way misusing the local transit pass and all such omissions and commissions related thereto shall be punishable under Section 21 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957).

(vi) No local transit pass shall be required where the railway siding for unloading the mineral/ore and /or its beneficiated products transported by rail routes is situated within the premise of the end use plant/place."

4. In Rule 7,-

(a) for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :-

"(1) (i) Any mineral mentioned in Part A and Part C of the First schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) or Schedule I and Schedule II of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 which has to be stored, beneficiated or crushed or processed by any other means or temporarily stored outside the lease area, the permission for such storage/beneficiation/crushing plant shall be given in Form-7 to be issued by the District Collector of the concerned District.

(ii) Any mineral mentioned in Part B of the First schedule of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), which has to be stored, beneficiated or crushed or processed by any other means outside the lease area, the permission for such storage/beneficiation/ crushing plant shall be given in Form -7 to be issued by the District Collector of the concerned District after approval by the State Government.

(iii) Storage Permit as specified in Form-7 shall not be required for storage of cut, polished and processed slabs and tiles of minerals mentioned in Part A of Schedule I of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015. However, for the transportation of any processed minerals in this Part it shall be mandatory to submit in Form-1 Mineral Transit Pass issued for the purpose with the District Mining Office and get in return the Royalty paid transit pass in Form-10.

(iv) Storage Permit as specified in Form-7 will not be required for storage of cut, processed and polished slabs and tiles of mineral flagstone mentioned in Serial no. 2 in Part C of Schedule I of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015. However for the transportation of this processed mineral, it shall be mandatory to submit in Form -1 the transit pass issued for the purpose with the District Mining Officer and get in return the Royalty paid transit pass in Form-10.

(v) For minerals mentioned in Serial no. 1 and 3 of Part C of Schedule I of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, the storage permit specified in Form-7 shall be available free of cost within the periphery of 500 meters from the own quarry lease boundary. However for the transportation of these processed minerals it shall be mandatory to submit in Form -1 the mineral transit pass issued for this purpose with the District Mining Officer and get in return the Royalty paid transit pass in Form-10 and submit a monthly return in Form-15.

(vi) The Storage Permit specified in Form -7 under the clause (i) and (ii) of these Rules may be generated online through the departmental portal as well."

(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely :-

"(2) The application for permit and its renewal for temporary storage/beneficiation/ crushing shall either be made online on the departmental portal or be made to the Collector of the concerned district in Form-4 alongwith the copy of the duly paid challan of required fees (non-refundable) in the prescribed revenue account head."

(c) in sub-rule (4),-

(i) for clause (ii) and (iii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) No objection certificate from the National Highways Authority of India, if proposed/temporary storage/beneficiation plant/crushing plant is within 100 metres but not beyond 500 metres from the National Highway.

(iii) No objection certificate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (No. 14 of 1981)."

(ii) after clause (v), the following shall be inserted, namely :-

"(vi) Where the application is made online on the departmental portal, the documents to be attached with the application shall be scanned and uploaded on the website."

5. In Rule 8,-

(a) for the punctuation full stop ".", after the words "marked on the application", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(b) below rule 8, the following shall be inserted, namely :-
"Provided that the applications shall be made online as well."

6. In Rule 9,-

(a) for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(b) below rule 9, the following shall be inserted, namely:-

"Provided that when the applications are made online a receipt in Form -6 can be obtained."

7. In Rule 10, for Sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Every application in Form-4 for the renewal of temporary storage permit shall be submitted within 90 days prior to the expiry of the permit along with fee deposited in such a manner as prescribed in sub-rule (3) of Rule 7 along with all the relevant documents, which were required to be submitted at the time of original application as per sub-rule (4) of Rule 7. If the application for such renewal is not disposed off within the prescribed time period, the period of such permit shall be deemed to have been extended by a further period for which the permit was originally granted till the Competent Authority passes an order thereon:

Provided that where an application for renewal has been received after the time limit provided above then for reasons to be recorded in writing shall be acceptable on payment of additional fee of Rupees Five Thousand :

Provided further that a delay of up to thirty days only shall be condoned in this regard by the Competent Authority.

8. In Rule 11,-

(a) for the punctuation full stop ".", after the words "No interest shall be liable for security deposit", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(b) below rule 11, the following shall be inserted, namely:-

"Provided that the security deposit shall be deposited in the Government Treasury under the relevant revenue receipt head."

9. In Rule 14, for clause (iii), the following shall be substituted, namely :-

"(iii) The permit holder shall issue royalty paid transit pass generated from the departmental portal in Form-10 for every vehicle (carrier) transporting any mineral/ore and/or its beneficiated products from the temporary storage/ processing site. Under special circumstances, an application may be made to the Collector of the concerned district for issuance of a royalty paid transit pass with the requisite information, in which case the royalty paid transit pass in form-10 shall be issued by the authorised officer:

Provided that where once a lessee having registered himself on the departmental portal has generated online transit passes in Form-10, he shall not be allowed to receive transit pass in Form-10 in a physical form under any circumstances whatsoever."

10. For Rule 17, the following shall be substituted, namely :-

"**17. Registration of lessee/licensee, vehicle owner, vehicle transporting the mineral and registration of end use plant**.- (1) Registration of lessee/licensee :

(i) All such persons, societies, firms, partnerships and companies, who are a lessee as defined under the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) or clause (x) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015 shall compulsorily register themselves free of cost on the departmental portal. On registration on the departmental portal a registration number (code) shall be allotted.

(ii) Every lessee who is not registered on the departmental portal after the notification of these Amendment Rules, shall not be entitled to get a transit pass online or entitled for any other services on the departmental portal.

(2) Registration of vehicle owner:

(i) All such persons, societies, firms, partnerships and companies through whose vehicles major minerals/ore and/or its beneficiated products are transported by road, shall compulsorily register free of cost through an application in Form-18 on the departmental portal. On registration on the departmental portal a registration number (code) will be allotted.

(ii) Transporting major minerals/ore and/or its beneficiated products without registration as a transporter on the departmental portal after the notification of these Amendment Rules shall be prohibited.

(3) Registration of vehicle used for transportation:

(i) All vehicles transporting major minerals/ore and/or its beneficiated products by road shall compulsorily register themselves through application in Form-19 on the departmental portal. On payment of annual registration fees of rupees Five hundred on the departmental portal a registration number (code) shall be allotted. The registration fees collected shall be deposited in the Government Treasury (non-refundable) in the prescribed revenue account head.

(ii) Transporting major minerals/ore and/or its beneficiated products without installing a Global Positioning System (GPS) based tracker within 180 days from the notification of these Amendment Rules shall be prohibited.

(4) Registration of end user :

(i) All such persons, societies, firms, partnerships and company who utilize as a major raw material a major mineral/ore and/or its beneficiated products in a end use plant shall apply for registration free of cost on the departmental portal in Form-20 and register themselves as end users.

(ii) On the basis of such applications received in Form-20 a registration number (code) will be allotted online. The list of all end use plant so registered shall be displayed on the departmental portal."

11. In Form-1, in serial number 7,-

(a) for the words "Name of the Owner of the vehicle", the words "Name, address and mobile number of the Owner of the vehicle" shall be substituted; and

(b) for the words "Name of the driver of the vehicle", the words "Name, address and mobile number of the driver of the vehicle" shall be substituted.

12. In Form-2, for the symbols, words and figures "[See Rule 3(2) (i)]", the symbols, words and figures "[See Rule 4(2) (i)]" shall be substituted.

13. In Form-3, for the symbols, words and figures "[See Rule 5 (vii)]", the symbols, words and figures "[See Rule 6(7)]" shall be substituted.

14. In Form-4, for the symbols, words and figures "[See Rule 6 (1)]", the symbols, words and figures "[See Rule 7(1)]" shall be substituted.

15. In Form-7, for the symbols, words and figures "[See Rule 6 (1)]", the the symbols, words and figures "[See Rule 7(1)]" shall be substituted.

16. In Form-8, for the symbols, words and figures "[See Rule 13 (ii)]", the symbols, words and figures "[See Rule 14(ii)]" shall be substituted.

17. In Form-9(a)(1), Form-9(a)(2), Form-9(a)(3), Form-9(b)(1), Form-9(b)(2) respectively, for the symbols, words and figures "[See Rule 13 (ii)]", the symbols, words and figures "[See Rule 14(ii)]" shall be substituted.

18. In Form-10,-

   (a) for the symbols, words and figures "[See Rule 13 (iii)]", the symbols, words and figures "[See Rule 14(iii)]" shall be substituted; and

   (b) in serial No 9, for the words "Sale value of mineral", the words "Mineral Purchaser/recipient's name/D.O. Number/Date (if applicable)" shall be substituted.

19. In Form-13, after serial number 10, the following shall be inserted, namely :-
   "11.Railway receipt number....................."

20. In Form-14, for the symbols, words and figures "[See Rule 4(6)(I)]", the symbols, words and figures "[See Rule 4(6)(iv)]" shall be substituted.

21. After Form-14, the following shall be added, namely :-

"Form - 15
[See Rule 14 (ii-a)]

Monthly Return

For the Month ....

(Return to be submitted by 05th of the coming month)

To,
The Collector,
District. ....
Chhattisgarh

(1) Name of the Licensee : ....

(2) Complete Address : ....

(3) Storage Location : (a) Khasra No. ....

(b) Area ....

(c) Village/Gram Panchayat..

(d) Tehsil..

(4) Storage Details :

(a) Name of Mineral..

(b) Period From……………………….. to …………………..………..

(c) Storage capacity permitted at a time…………………………….....

S.N.	Month/Year	Opening Stock	Quantity of Mineral received in the month			
			Name of Lessee & Address of mine from where the mineral is received	Transit Pass No. & Date	Vehicle Type & vehicle No.	Quantity of Mineral
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

Total Quantity of Mineral at the storage site (3+7)	Quantity of Mineral dispatched from Storage Area				
	Name & Address of Buyer	Serial No. & Date of Royalty Paid Transit Pass Form-10	Vehicle Type & Vehicle No.	Quantity of Mineral	Closing Stock (8-12)
8.	9.	10.	11.	12.	13.

(Note:- Give all figures in Cubic Metres/Tonne)

Form - 16
[See Rule 4 (1)(iv)]

Application for Railway Transit Pass

1.	Name and address of mineral sender
2.	Name and Address of mineral receiver
3.	E-Permit Number
4.	Name of the mineral
5.	EDRM Number Date (Upload the copy)
6.	Quantity of Mineral (Tonne) in EDRM
7.	Quantity of Mineral (Tonne)
8.	Name and address of railway siding from where the mineral will be loaded
9.	Name and address of destination railway siding

Date :

Place :

Signature

Name of Applicant

Form - 17
[See Rule 4 (1)(iv)]

Railway Transit Pass

1.	Issue Date and Time
2.	Sender's Name and Address
3.	Receiver's Name and Address
4.	E-Permit Number
5.	Name of the Mineral
6.	E.D.R.M. Number Date
7.	Quantity mentioned in E.D.R.M. (Metric Tonne)
8.	Proposed quantity of mineral to be dispatched (Metric Tonne)
9.	Name of Railway Siding from where the miners is loaded
10.	Name of Railway Siding where the Mineral is received

District Mining Officer
District ....

Form - 18
[See Rule 17(2)]

Vehicle owner Registration Application Form

1.	Transporter Type (Individual, Firm, Association, Company)
2.	Name of Individual/Company/Firm/Association
3.	Name of Applicant
4.	Complete Address
5.	Pin Code
6.	Mobile Number
7.	E-mail ID
8.	PAN Card Number
9.	Aadhaar Card Number (In case of an Individual)
10.	TIN Number (For Company/Firm/Association)

Declaration: I hereby declare that the above statement is true to the best of my knowledge and belief, and I understand that any false information furnished above may cause penalty/ punishment as per applicable laws.

Disclaimer : Mineral Resources Department is not responsible to any contravention of rules.

Applicant

Form - 19
[See Rule 17(3)]

Vehicle Registration Form

1.	Vehicle Type (Trailer/Haiwa/Truck/Tractor/Others)
2.	Vehicle Number/RC Number
3.	Vehicle Carrying Capacity (Metric Tonne)
4.	Vehicle Tier Weight (Metric Tonne)
5.	GPS Enabled? Yes or No
6.	GPS Device IMEI No. (Only for GPS Enabled Vehicles)

Declaration: I hereby declare that the above statement is true to the best of my knowledge and belief, and I understand that any false information furnished above may cause penalty/ punishment as per applicable laws.

Disclaimer : Mineral Resources Department is not responsible to any contravention of rules.

Applicant

Form - 20
[See Rule 17(4)]

End-User Registration Form

1.	End User Type :- (Individual /Firm/Society/Partnership/Company)
2.	Name of the Individual/Firm/Society/Partnership/Company
3.	Applicant's Name
4.	Designation
5.	Complete Address
6.	Pin Code
7.	Mobile Number
8.	E-mail ID
9.	PAN Card Number
10.	Aadhaar Card Number (For Individual)

11.	TIN Number (For Company/Firm/Association)
12.	Name of the Mineral
13.	Use of the Mineral
14.	Purpose (Captive/Non-Captive)
15.	Outside Chhattisgarh (Yes/No)
16.	Nature of Business (Private/Crusher/Processing Plant/Storage Depot)

Declaration: I hereby declare that the above statement is true to the best of my knowledge and belief, and I understand that any false information furnished above may cause penalty/ punishment as per applicable laws.

Disclaimer : Mineral Resources Department is not responsible to any contravention of rules.

Applicant"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
EFFAT ARA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.